संख्या:-39/2024/829ई-2/तेरह-2024-1634237

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 24 अक्टूबर, 2024

विषयः-मेसर्स सक्सेरिया बिसवॉ शुगर फैक्ट्री लि., आसवनी इकाई बिसवॉ, सीतापुर द्वारा केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-66/दो-प्रा.डी.-115/मे.-सक्सेरिया बिसवां, दिनांक 22-09-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 22-09-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 23-02-2021 के क्रम में मेसर्स सक्सेरिया बिसवॉ शुगर फैक्ट्री लि., आसवनी इकाई बिसवॉ, सीतापुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जायेगा:-

(1) आसवक द्वारा शासनादेश संख्या:18/2021/524ई-2/तेरह-2021-23/2009, दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों एवं आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:854/शोध एवं समन्वय/एथनॉल, दिनांक 14.11.2023 द्वारा निर्गत अनापत्ति पत्र में उल्लिखित प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन/मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) आसवनी द्वारा अल्कोहल उत्पादन करते समय भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आसवक द्वारा सहोदर चीनी मिल से केन जूस/सीरप को आसवनी में स्थानान्तरण किये जाने हेतु नील पत्र के अनुसार प्लांट/ मशीनरी की स्थापना की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित पम्प, पाइप लाइन, कूलर, वेइंग सिस्टम, वाल्व, मास फ्लो मीटर आदि स्थापित किया जायेगा।

(5) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर कोई राजस्व बकाया न हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।